




BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2023

IN THE MATTER OF :

HARPAL SINGH Vs STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.



NDOH – 30.09.2024

RESPONSE ON BEHALF OF THE CHIEF DEVELOPMENT
OFFICER, MUZAFFARNAGAR, 251001 UTTAR PRADESH,
INDIA (RESPONDENT NO. 7) IN COMPLIANCE TO THE
ORDER DATED 06.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 433 OF 2023 IN THE
MATTER OF HARPAL SINGH Vs STATE OF UTTAR
PRADESH & ORS.

I, Sandeep Bhagiya, aged about 35 years S/o

Daashan Lal....., presently posted as Chief

PRERNA TYAGI
 NOTARY
 MUZAFFARNAGAR

28 SEP 2024

Development Officer, Muzaffarnagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That the deponent is working on the above mentioned post and being authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such I am well conversant to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 06.09.2024 in Original Application No. 433 of 2023 in the matter of Harpal Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors. instructed the following :-

".....3. **A fresh notice shall be issued to respondent 7 to enable it to file a reply, if any, within two weeks after receipt of notice.**

4. Further we implead following as respondents 7 and 9: I. Chief Development Officer, Muzaffarnagar II. Jila Panchayat, District Panchayat Raj Officer, Muzaffarnagar....."

Response-

1. For complying of direction passed by Hon'ble NGT in this matter, the additional reports are attached herewith as **Annexure-1.**

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

28 SEP 2024



2. Therefore, the above additional reply on behalf of the Chief Development Officer, Muzaffarnagar is submitted before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

[Signature]
Deponent

VERIFICATION

I, the deponent named above, do hereby verify that the content of paras 1 and 2 of this affidavit is true to my knowledge and true on the basis of records and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me GOD.

Verified at Muzaffarnagar on 28th.... day of September, 2024.

[Signature]
Deponent



Sandeep Bhagiyar
sworn before me at.....
The deponent.....
is/are identified by Strt.....
I have satisfied myself by examining the deponent who understand the contents of the affidavit which has been read out and explained by me to the deponent. Fee.....
Charged Rs.....
NOTARY DISTT. MUZAFFARNAGAR

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

12.8 SEP 2024

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक:- 1035/जि0पं0/2024-25

दिनांक : 28.09.2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित 06.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित 06.09.2024 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के डिस्पेच नं0 1870 दिनांक 21.09.2024 एवं आपके कार्यालय पत्रांक 754/ओ.ए.नं. 433/हरपाल सिंह/2024 दिनांक 26.09.2024 के सम्बन्ध में जिला पंचायत मुजफ्फरनगर का पक्ष मा0 अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के क्रम में आख्या संलग्नक रेखा चित्र के अनुसार निम्नवत् है:-


1. (A) से (B) ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा निर्मित पक्का नाला है जिसकी लम्बाई लगभग 210 मी0 है।
2. (B) से (C) तक एफ.सी.आई. का गोदाम है जिसके सामने एफ. सी. आई. द्वारा नाला बनाया गया है। जिसकी लम्बाई लगभग 125 मी0 है।
3. (C) से (D) रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाईन के नीचे भूमिगत बैलेन्सिंग कन्वर्ट बनाया हुआ है।
4. (D) से (E) भूमिगत नाला है जिसके ऊपर पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा ओवर ब्रिज बना हुआ है, जो अन्त में (F) स्थान पर खत्म होता है।
5. दिनांक 27.09.2024 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थलीय निरीक्षण जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के अवर अभियन्ता, प्रदूषण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री इमरान एवं रेलवे विभाग के सीनियर सैक्शन इंजी. मौजूद थे। तत्समय बिन्दु (F) (संलग्नक रेखाचित्र) पर नाले का पानी Under Ground pipe से निकल रहा था, जो रेलवे विभाग की जमीन में निकल रहा था।
6. आज दिनांक 28.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी के साथ एवं प्रदूषण विभाग के आर.ओ. श्री अंकित कुमार जी के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय पाया गया कि जिस स्थल पर नाले का पानी (F) बिन्दु पर निकल रहा था उसको जे.सी.बी. द्वारा खुर्द-बुर्द कर एवं निकासी स्थल वाले पाईप को निकाल कर उसकी दिशा बदल दी गयी है, तथा वर्तमान में वह (G) बिन्दु पर है, जो पी.डब्ल्यू.डी. प्रान्तीय खण्ड एवं निजि भूमि की ओर कर दिया गया है। आज दिनांक 28.09.2024 के स्थलीय निरीक्षण एवं प्रश्नगत स्थल के फोटोग्राफ संलग्नक है।
7. वर्तमान में स्थल के रेखा चित्र के अनुसार एवं ग्रामवासियों/ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि पानी का बहाव (G) बिन्दु से काली नदी की ओर जाना है। चूंकि श्री हरपाल सिंह द्वारा अपने खेत से मिट्टी उठाने के कारण उनका खेत गहरा हो गया है, जिससे कि पानी उनके खेत में भर जाता है।
8. स्थल पर श्री हरपाल सिंह के खेतों के समीप रेलवे विभाग की सम्पत्ति है। अतः नाला निर्माण का कार्य रेलवे विभाग द्वारा ही किया जाना नियमानुसार एवं जनहित में है। रेलवे विभाग द्वारा अपनी भूमि में स्वयं निर्माण न कराने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार/पंचायती राज विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार/पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण कार्य नियमानुसार कराया जा सकता है। अतः वर्तमान में जिला पंचायत मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त प्रकरण में कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।


संलग्नक- स्थलीय फोटोग्राफ एवं रेखा चित्र




भवदीय


28/9/2024
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
मुजफ्फरनगर

स्वतन्त्र रेलवे सित्र







Kand/SB

निरीक्षण रिपोर्ट

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 433/2023 हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2024 की सायं 6:00 बजे जिला पंचायत राज अधिकारी मुजफ्फरनगर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मुजफ्फरनगर, सीनियर सैक्शन इंजीनियर रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के साथ बैठक प्रस्तावित की गयी, जिसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 754/ओ०ए० नं० 433/हरपाल सिंह/2024 दिनांक 26.09.2024 के द्वारा सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गयी। बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.09.2024 को रेलवे विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

1- यह एक Balancing Culvert है जो रेलवे ट्रैक के निचे बना हुआ है। इस Balancing Culvert को आपातकालीन पानी/वर्षा के पानी के लिए बनाया जाता है। इस Balancing Culvert में रेलवे का किसी भी तरह कोई भी पानी नहीं आता है क्योंकि रेलवे का कोई आवसीय क्षेत्र आस - पास नहीं है। इस Culvert के उत्तर में उत्तर प्रदेश आवसीय क्षेत्र है जिसका Drainage नाले द्वारा इस Culvert में अनाधिकृत रूप से छोड़ दिया जाता है। जबकि Polluted पानी/सीवेज को बिना Treatment किये किसी भी नाले/ Culvert में नहीं छोड़ना चाहिए, इस Polluted पानी/सीवेज से रेलवे के Structure को भी क्षति पहुंच रही है। जिसे तुरन्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा बन्द करना चाहिए।

आवसीय क्षेत्र और इस Culvert के बीच में CWC परिसर भी आता है जिसका Drainage भी इसी Culvert में अनाधिकृत रूप से जोड़ दिया गया है। Balancing Culvert के साथ एक ROB है जिसके नीचे से पी.डब्ल्यू.डी. उत्तर प्रदेश द्वारा Hume Pipe डाला गया है, जिससे Balancing Culvert को पार करते हुये कच्चे नाले द्वारा ROB के नीचे Hume Pipe द्वारा पार कर ROB के दूसरी तरफ ROB के साथ पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन में Drainage छोड़ दिया गया। जहाँ छोड़ा गया वहाँ से यह Drainage कच्चे नाले द्वारा प्राइवेट जमीन में चला जाता है। जहाँ Drainage छोड़ा गया वहाँ से रेलवे की जमीन कुछ दूरी पर है जोकि रेलवे की जमीन प्राइवेट जमीन से लगभग 02 - 2.5 मीटर ऊँचा है। इस प्रकरण में रेलवे विभाग की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है।

27-09-24
SSE/P.WAY/MOZ

27-09-24
SSE/W/MOZ